GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
CONFIDENTIAL AND CABINET DEPARTMENT

* * *

No.A-49011/02/2011/DPAR/CCD(1) Puducherry, dated 06.05.2020

I. D. NOTE

Sub: CCD – Display of complete State Emblem of India with the motto "Satyameva Jayate" – written in Devenagari script below the profile on the Lion Capital - Reg.

Ref: Letter No.13/1/2020-Public dated 13.02.2020 from the Under Secretary to Government of India, Public Section of Ministry of Home Affairs, New Delhi.

****

A copy of the letter of Ministry of Home Affairs, Government of India cited under reference on the subject mentioned above is communicated herewith for information and strict compliance.

//BY ORDER//

(M. KANNAN)
UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT

Encl: As stated.

To

1. The Development Commissioner-cum-Secretary/All Secretaries/Special Secretary to Government, Puducherry.
2. All Head of Departments/Offices, Puducherry.
3. All Executive Heads of Public Sector Under-takings/ Corporations/ Boards/ Societies/Local Bodies, Puducherry.

No. 13/1/2020-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(Public Section)
****

North Block, New Delhi
Dated 12th February, 2020

13 FEB 2020

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Govt. of India.

Subject: Complete and clear display of the State Emblem of India on seals.

Sir/Madam,

The State Emblem of India (SEI) is the official seal of the Government of India. The State Emblem is an adaptation from the Sarnath Lion Capital of the Emperor Ashoka. The Emblem consists of the profile of the Lion Capital showing three Lions mounted on the abacus, with a Dharma Chakra in the Centre, a bull on the right, a galloping horse on the left and outlines of Dharma Chakras on the extreme right and left with the motto "Satyameva Jayate"- written in Devanagiri script. Design of the State Emblem of India is provided in the Schedule of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005.

2. It has been brought to notice of this Ministry that **the official seals having the State Emblem which are used in the Government Offices put very unclear and vague impression on papers because such seals are overused till they get worn out.** It may be noted that sometimes, the word "Satyameva Jayate" hardly appears on the seal due to its poor impression. Such indistinct use of the State Emblem of India on the seals amounts to violation of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 and State Emblem of India (Regulation of Use) Act, 2007 [as amended in 2010].

3. It has also been brought to notice of this Ministry that various Government Agencies which are using the State Emblem of India on their stationery, publications, seals, vehicles, buildings, websites etc., often omit the motto "Satyameva Jayate" and are only depicting the profile of Lion Capital. It may be noted that the State Emblem of India is incomplete without the motto "Satyameva Jayate" inscribed (in Devanagiri script) below the profile of the Lion Capital. Incomplete display of the State Emblem of India is a violation of the aforesaid Act (A copy of the Act and Rules is enclosed (also available on this Ministry's website www.mha.gov.in.

4. It is therefore, reiterated that **all the Government agencies which are using the State Emblem of India on their seals must ensure that the seals are timely replaced before they are worn out so that the impression of the seals on papers may be clear**

Yours faithfully,

and precise. Furthermore, the Government agencies which are authorized to use the State Emblem of India for various purposes must depict the complete 'State Emblem' with the motto 'Satyameva Jayate'- in Devanagiri Script- inscribed below the profile of Lion Capital, as per the enclosed format and also to ensure that no unauthorized use of the State Emblem of India is made on stationery, vehicles etc.

5. Suitable steps in this regard may please be taken and suitable instructions may please be issued to all concerned agencies and wide publicity in this regard be made. Strict action should be taken against concerned officials (for incomplete display of the SEI) for any violations in this regard.

Encl.: As above

Yours faithfully,

Deepak Kumar 12/2/2020

(Deepak Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-2309 2421

Copy to:-

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India
10. All High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 20 spare copies.

// COPY //

(S. MURUGESAN)
SUPERINTENDENT (CCD)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2007/आश्विन 12, 1929

No. 448] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ASVINA 12, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय मुद्रा में और लेखन सामग्री पर भारत के राज्य संप्रतीक के प्रयोग और उसके डिजाइन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) "संप्रतीक" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

3. शासकीय मुद्रा का डिजाइन.—(1) शासकीय मुद्रा के डिजाइन में अंडाकार या गोल बिरचना में संलग्न संप्रतीक होगा ।

(2) बिरचना के आंतरिक और बाहरी घेरों के बीच मंत्रालय या कार्यालय का नाम उपदर्शित होगा ।

(3) जहां किसी मंत्रालय या कार्यालय का पूरा नाम रखा जाना संभव नहीं है, वहां उसके नाम का संक्षिप्त रूप अंकित किया जा सकेगा ।

4. राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंगीकार करना.—(1) कोई राज्य सरकार संप्रतीक को, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शासकीय संप्रतीक के रूप में अंगीकार कर सकेगी ।

(2) जहां कोई राज्य सरकार, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक या उसके किसी भाग को सम्मिलित करने

का प्रस्ताव करती है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा करेगी और डिजाइन तथा अभिन्यास को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराएगी :

परन्तु जहां किसी राज्य सरकार ने, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक या उसका भाग पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है, वहां वह इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग जारी रख सकेगी ।

5. शासकीय मुद्रा में प्रयोग.—शासकीय मुद्रा में संप्रतीक का प्रयोग, अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा ।

6. लेखन सामग्री पर प्रयोग.—(1) शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, पूर्वोक्त अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित रहेगा ।

(2) संप्रतीक, जब शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर मुद्रित या समुद्भूत किया जाए तो वह ऐसी लेखन सामग्री के शीर्ष के मध्य में सुस्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा ।

7. वाहनों पर संप्रदर्शन.—वाहनों पर संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा।

8. सरकारी भवनों पर संप्रदर्शन.—(1) संप्रतीक को, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय सचिवालय भवन जैसे अति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

(2) संप्रतीक को, उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के राजभवन या राज निवास और राज्य विधान मंडल, उच्च न्यायालयों और सचिवालय भवनों पर भी संप्रदर्शित किया जा सकेगा, जिन्होंने संप्रतीक को अंगीकार किया है या जिन्होंने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक को सम्मिलित किया हुआ है ।

(3) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन के परिसरों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा और मिशनों के प्रमुख अपने प्रत्यायन के देशों में अपने निवास स्थानों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित कर सकेंगे ।

(4) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के कौंसलावास द्वारा अधिभोग किए गए भवनों पर, उनके प्रवेश द्वारों पर और उनके प्रत्यायन के देशों में कौंसलीय पदों के प्रमुखों के निवास स्थानों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

9. विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा ।

10. संप्रतीक के प्रयोग पर निर्बंधन.—(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, विधान सभाओं के भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी जैसे सरकार के भूतपूर्व कृत्यकारी भी हैं) किसी भी रीति में, संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किए गए से भिन्न कोई आयोग या समिति, सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम, बैंक, नगरपालिका परिषद्, पंचायतराज संस्था, परिषद्, गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय किसी भी रीति में संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(3) कोई संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी रीति में अपने लेटरहेडों, पुस्तिकाओं, आसनों, कलशों, बैज, हाउस स्टैगों पर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(4) ऐसी लेखन-सामग्री पर, जिसके अंतर्गत लैटरहेड, परिचय-कार्ड और बधाई कार्ड भी हैं, जो ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामग्री पर इन नियमों के अधीन संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है, अधिवक्ता, संपादक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे शब्द नहीं होंगे ।

11. संप्रतीक के प्रयोग को निर्बंधित करने वाली दशाएं और शर्तें.—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के शोधक में या किसी व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन में संप्रतीक या उससे मिलती-जुलती नकल का प्रयोग नहीं करेगा या उसका प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह, संगम, निकाय, निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा आयोजित किसी समारोह के संबंध में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के साथ संयुक्त रूप से किसी प्रकाशन के संबंध में संप्रतीक का प्रयोग कर सकेगा।

12. संप्रतीक के डिजाइन की उपलब्धता.—(1) संप्रतीक के फोटो ग्राफिक डिजाइन प्रबंधक, फोटोलिथो खण्ड, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं और उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं ।

(2) संप्रतीक के मानक, डाई का नमूना, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है ।

अनुसूची-I

(नियम 5 और 6 देखें)

संविधानिक या कानूनी प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग, राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अन्य सरकारी कृत्यकारी, जो संप्रतीक का प्रयोग कर सकेंगे ।

(1) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ का कोई मंत्री ;

(ii) राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रशासक, यदि, यथास्थिति, संप्रतीक को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अंगीकार किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है ;

(iii) भारत की संसद का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(iv) न्यायपीठ और न्यायपालिका के कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(v) योजना आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी;

(vi) भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(vii) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(viii) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(ix) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय तथा उनके अधिकारी ;

(x) विदेशों में राजनयिक मिशन और उनके अधिकारी ;

(xi) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री और मंत्री, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xii) संसद सदस्य और यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यों की विधान सभाओं या विधान परिषदों के सदस्य ;

(xiii) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय और उनके अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xiv) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं या विधान परिषदों के कार्यालय और अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xv) संसद के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकरण ;

(xvi) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, "अधिकारी" पद से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है।

अनुसूची II

(नियम 7 देखें)

भाग 1

सांविधानिक प्राधिकारी और अन्य उच्चाधिकारी, जो अपनी कारों पर संप्रतीक संप्रदर्शित कर सकेंगे

(i) राष्ट्रपति भवन की कारें, जब निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी ऐसे वाहनों में यात्रा कर रहे हों :

(क) राष्ट्रपति,

(ख) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

(ग) विदेशी राज्यों के अतिथि, उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति के उच्चाधिकारी,

(घ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या किसी विदेशी राज्य के राजकुमार या राजकुमारी जैसे समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(ङ) राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार ;

(ii) उप-राष्ट्रपति की कार, जब वह या उसका पति या उसकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों ;

(iii) राजभवन और राज निवासों की कारें, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है, जब संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे वाहनों द्वारा निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी यात्रा कर रहे हों :

(क) राष्ट्रपति,

(ख) उप-राष्ट्रपति,

(ग) राज्य का राज्यपाल,

(घ) संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल,

(ङ) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

(च) विदेशी राज्यों के अतिथि उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(छ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(iv) भारत के राजनयिक मिशनों के प्रमुखों द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;

(v) विदेश में भारत के कांउसेल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;

(vi) विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा रखी जाने वाली कारें, जब उनका उपयोग भारत में आए हुए कैबिनेट मंत्रियों और उससे उच्च रैंक के विदेशी उच्चाधिकारियों और समारोह के अवसर पर भारत में प्रत्यायित राजदूत की ड्यूटी में किया जा रहा हो।

भाग 2

प्राधिकारी, जो अपनी कारों पर तिकोनी धातु की पट्टिका पर अशोक चक्र (जो संप्रतीक का भाग है) संप्रदर्शित कर सकेंगे :

(i) प्रधान मंत्री और संघ के मंत्रियों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति की कारें, जब वे भारत में कहीं भी यात्रा कर रहे हों ;

(ii) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की कारें, अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर ;

(iii) राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों के राज्य मंत्रियों, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उप-सभापति, विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों (उप-मंत्रियों को छोड़कर) और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की कारें जब वे, यथास्थिति, अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा कर रहे हों (यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची III

(नियम 9 देखें)

अन्य प्रयोजन जिनके लिए संप्रतीक प्रयोग किया जा सकेगा

(i) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड ;

(ii) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों द्वारा भेजे गए बधाई कार्ड ;

(iii) सरकार के सरकारी प्रकाशन ;

(iv) सरकार द्वारा निर्मित फिल्म और वृत्तचित्र ;

(v) स्टाम्प पेपर ;

(vi) सरकारी विज्ञापन, बैनर, पुस्तिकाएं, बोर्ड आदि ;

(vii) कलगी, प्लैग, आसन ऐसे रूपांतरण के साथ, जो आवश्यक हों ;

(viii) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, अनुज्ञप्तियां, परमिट आदि ;

(ix) सरकार की वेबसाइट ;

(x) भारत सरकार की टकसालों या मुद्रणालयों द्वारा जारी सिक्के, करेंसी नोट, वचनपत्र और डाक टिकट ;

(xi) सरकार द्वारा सौंपित मेडल, प्रमाणपत्र और सनद ;

(xii) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र ;

(xiii) राष्ट्रपति भवन, राज-भवनों, राज निवासों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों या केन्द्रों में प्रयोग में आने वाले प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन व छुरी कांटे ;

(xiv) (क) संघ के सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारियों ;

(ख) संघ और ऐसी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की वर्दी वाली सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों, जिसने उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसमें संप्रतीक सम्मिलित किया है ;

(ग) राष्ट्रपति भवन और विदेशों में भारतीय मिशन और पदों के प्राधिकृत कर्मचारिवृंदों ; की गणवेश पर ऐसे रूपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, बैज, कालर बटन आदि :